जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 04.05.2023

आज दिनांक 04.05.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

धनघटा पुलिस द्वारा गोदाम में चोरी के मामले में चोरी के सामानों के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0स0 248 / 2023 धारा 457/380/427/411 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता सत्येन्द्र उर्फ नाटे पुत्र भूषण चौधरी निवासी गागरगाड थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को चोरी के एक पैकेट काजू, एक पैंकेट पुकार का गूटखा व तम्बाकू के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 03.05.2023 को वादी श्री विनोद कुमार निगम पुत्र स्व0 मुरारीलाल निवासी मुखलिसपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर तहरीर दी गयी कि उनकी धनघटा चौराहे के पौली रोड पर किराने की दुकान है, उसी के बगल में बैंक आफ बड़ौदा के ग्राहक सेवा केन्द्र के ऊपर उनका एक गोदाम है। दिनांक 02.05.2023 की रात्रि में उपरोक्त सत्येन्द्र उर्फ नाटे द्वारा गोदाम के पीछे से लगे दरवाजे का ताला का तोड़कर खाने पीने का सामान चोरी कर लिया गया है तथा सीसीटीवी कैमरा को भी तोड़ दिया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर उक्त आरोपी अभियुक्त की तलाश की जा रही थी, जिसे आज दिनांक 04.05.2023 को चोरी के सामानों के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव, कां0 संदीप कुमार गुप्ता।

नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री बृजेश सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** मु0अ0स0 247/23 धारा 363 / 366 भादवि व 7 / 8 में वांछित अभियुक्त हंसराज पुत्र झीनकराम निवासी औराडाड़ थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को दिनांक 02.05.2023 को बहला फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर दिनांक 03.05.2023 को

अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध को गंभीरता से लेते हुए थाना धनघटा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित अभियुक्त को आज दिनांक 04.05.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री रामकरन निषाद, कां0 अनिल कुमार यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 15 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 3303 द्वारा लावारिश हालात में मिली बच्ची को स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से उसके परिजनों की तलाश कर किया गया सुपुर्द*–** पीआरवी 3303 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत बंजरिया देहात से इवेन्ट संख्या 14708 से कालर ने एक लावारिश बच्ची के मिलने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से उसके परिजनों की तलाश कर सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया गया तथा घटना के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर लावारिश बच्ची को परिजनों को सुपुर्द कर किसी प्रकार की अनहोनी से बचाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 सुजीत कुमार यादव, हो0चा0 अशोक कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 34 वाहनो से 23,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.05.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 34 वाहनों से 23,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया।